नगर निगम शिमला

क्रमांकः-ननिशि/आयुक्त/2021 - 15 दिनांकः- 16-2-20

नगर निगम शिमला की वित्त, संविदा एवं योजना समिति की वर्ष 2020-21 की 12वीं बैठक दिनांक 20.02.2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे महापौर कार्यालय कक्ष में होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस बैठक में पधारने की कृपा करें।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

1.	श्रीमती सत्या कौण्ड़ल	मा0 महापौर-सभापति
2.	श्री विवेक शर्मा	मा0 सदस्य
3.	श्री दिवाकर देव शर्मा	मा0 सदस्य
4.	श्रीमती सिमी नंदा	मा0 सदस्या
5.	श्री पूरन मल	मा0 सदस्य

नगर निगम की वित संविदा व योजना समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ ज्ञापन।

3(1)

विभाग का नामः–मार्ग व भवन विभाग
विभागाध्यक्ष का नामः–राजेश ठाकुर

वित्तिय वर्ष 2021–22 में विकासात्मक कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामग्री की खरीद करने बारे।

वित्तिय वर्ष 2021–22 में मार्ग व भवन विभाग द्वारा विकासात्मक कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित सामग्री की खरीद की जानी अपेक्षित हैः–

क्रमांक	सामग्री	मात्रा	माध्यम/स्त्रोत
1.	सीमेंन्ट	3000 मिट्रिकटन	हि०प्र० स्टेट सिविल सप्लाई से आवश्यकता अनुसार अग्रधन के आधार पर खरीद करने एवं समायोजन करने हेतू।
2.	हार्ड स्टोन	500 क्यु०मी०	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
3	स्टोन ऐग्रीगेट 63 mm to 40 mm size for wearing/ repair of pot hole.	200 क्यु०मी०	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
4.	सोलिगं स्टोन	200 क्यु०मी०	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
5.	कन्वेनशनल ईटें	2500 नं०	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
6.	मोडूलर ईटे	6000 नं०	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
7.	बारिक रेत	500 क्यु०मी०	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
8.	क्शर रेत	1000 क्यु०मी०	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।

9.	बजरी 10–12 एम एम	200 क्यु0मी0	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
10.	बजरी 20 एम0 एम0	200 क्यु0मी0	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
11	जलाने की लकड़ी	1000 क्विंटल	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
12.	तरकोल (Emulsion)	25 ड्रम	हि0प्र0 एग्रो इन्डस्ट्रीज/ स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज से आवश्यकता अनुसार अवाधन के आधार पर खरीद करने एवं समायोजन करने हेतू।
13.	प्रिमिक्स (तारकोल तथा बजरी का मिश्रण)	1000 मिट्रिकटन	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
14.	सफेद रंग (White enamel paint)	2000 लीटर	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
15.	हरा रंग (Green enamel paint)	5000 लीटर	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
16.	काला रंग (Black enamel paint)	200 लीटर	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
17.	तारपीन तेल	500 लीटर	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
18.	Precast Concrete benches/ Ornamental benches	300 Nos	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
19.	Chequred tiles Red & Grey	3000 Nos	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।
20.	Stone wear tiles (i) 4" (ii) 6" (iii) 9"	 500 Nos 500 Nos 500 Nos	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतू।

21.	M.S. Pipe railing panels	3000 Nos	आवश्यकता अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम दर के निविदाकार/ ठेकेदार के माध्यम से खरीद करने तथा बिलों के भुगतान करने हेतु।

अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासात्मक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार उक्त ब्यौरे के अनुरूप सामग्री की खरीद विभाग स्तर से करने की स्वीकृति हेतु मामला आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आयुक्त

विभागाध्यक्ष

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्रीमती सिमी नंदा, मा0 सदस्या ने कहा कि न्यूनतम स्टॉक सृजन किया जाना चाहिए ताकि छोटे-मोटे अतिआवश्यक कार्यों को किया जा सकें।

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(1) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को इस आधार पर स्वीकृति किया गया कि सीमेंट आजिविका भवन, राजीव आवास योजना व विभागीय कार्यों के लिए उपयोग किया जाए और उक्त मद के सम्बन्ध में आने वाले व्यय को सम्बन्धित कार्यों में समिलित किया जाएग।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(2)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT – Executive Engineer

Subject:- Approval of estimate for providing SOP to Vending Zone Building of M.C. Shimla near Lift in Subzi Mandi Section under ESD, Ridge Shimla

It is submitted that the building of Vending Zone is under construction by M.C. Shimla near HPTDC Lift. In this building Shops, Bakery Shops, two Lifts, Office etc. are proposed to be constructed. The tentative electrical load for whole of the building is about 400 KW. The construction work of the building is fast in progress and will be completed at the earliest. So HPSEBL has been requested to frame estimate for Supply of Power in respect of electrical load of 400 KW and submit to M.C. Shimla. Accordingly an estimate amounting to Rs.92,80,350/- only has been received by M.C. Shimla from HPSEBL for providing Supply of Power (SOP) to the said Complex.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs. 92,80,350/- only
2. To deposit the estimated cost with HPSEBL for providing SOP to Vending Zone Building near Lift.
3. To incur the expenditure under "M.C. Head".

Commissioner,

Head of Department

उक्त मद पर चर्चा के दौरान श्री विवेक शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि प्राकलन में जिस गुणवता का सामान स्वीकृत हुआ है मौका पर भी वही सामान लगाया जा रहा है या नहीं। अधिशाषी अभियन्ता, मार्ग एवं भवन विभाग ने समिति को अवगत करवाया कि उक्त मद में electrical load 400 KW गलती से अंकित हो गया है जबकि यह electrical load 800 KW है।

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(2) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति इस आधार पर प्रदान की गई कि कार्य को स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से करवाया जाए initially इसे MC Head किया जाए बाद में इसे स्मार्ट सिटी से compensate किया जाए और उक्त मद में electrical load 400 KW के स्थान पर 800 KW पढ़ा जाए यह अनुशंसा भी की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नगर निगम शिमला की वित संविदा एंव योजना समिति के विचारार्थ ज्ञापन

3(3)

विभाग का नामः- सम्पदा शाखा

विभागाध्यक्ष का नामः- अतिरिक्त आयुक्त

नगर निगम शिमला की परिसम्पतियों को लीज/किराये पर देने हेतू।

विषय उपरोक्त के बारे में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/लीज पर भूमी इत्यादि को किराये/लीज पर आबंटन हेतू खुली बोली/निविदाऐं आमंत्रित की जाती है, जिसमें शहर के नागरिक भाग लेते हैं। इस विषय में विभिन्न दुकानो/स्टालों आदि की निविदाओं में भाग लेने के लिए यह शर्त है कि निविदाओं में भाग लेने अथवा किसी परिसम्पति के आबंटन हेतू यह आवश्यक हो कि किसी आबंटी के पास पूर्व में नगर निगम की कोई अन्य दुकान/स्टाल/लीज पर भूमि नहीं होनी चाहिए। इससे अन्य लोगों को लाभ होगा तथा बेरोजगारों को भी अपना रोजगार चलाने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि निविदा में भाग लेने हेतू व्यक्ति नगर निगम का किसी भी प्रकार की राशि जैसे लीज मनी, किराया राशि, कुड़े का बिल, सम्पति कर आदि की देनदारी लम्बित न हो।

अतः मामला माननीय वित संविदा एंव योजना समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एंव विचारार्थ प्रस्तुत है।

आयुक्त

अतिरिक्त आयुक्त।

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(3) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि भवन के नक्शों के लिए सम्पदा शाखा से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र न लिया जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नगर निगम शिमला की वित संविदा एंव योजना समिति के विचारार्थ ज्ञापन

विभाग का नामः- सम्पदा शाखा

विभागाध्यक्ष का नामः- अतिरिक्त आयुक्त

3 (4)

रिज में स्थित राज्य पुस्तकालय भवन के जीर्णोद्वार व उपयोग बारे।

विषयगत मामले में अवगत करवाया जाता है कि नगर निगम शिमला का दो मंजिला भवन जिसमें राज्य पुस्ताकालय चलाया जा रहा है का जीर्णोद्वार करवाया जाना आवश्यक है। इस दो मंजिला भवन, जोकि एक ऐतिहासिक धरोहर है की दिवारें, छत, लक्कड़ी इत्यादि क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा अन्दर से शीघ्र मुरम्मत करवाना आवश्यक है क्योंकि मुरम्मत के अभाव में यह भवन खस्ता हाल हो चुका है शीघ्र मुरम्मत न होने से भवन को और भी क्षति हो सकती है। इस विषय में यह भी अवगत करवाया जाता है कि यह भवन वर्ष 1987 में शिक्षा विभाग को पुस्तकालय चलाने हेतु दिया गया था तदोपरान्त से इसमें राज्य पुस्तकालय चलाया जाता रहा और कभी भी इसकी मुरम्मत नहीं करवाई गई। वर्तमान में राज्य पुस्तकालय को हि० प्र० विधान सभा परिसर के समीप निर्मित पुस्तकालय भवन में स्थानानतरित किया जा चुका है। अतैव रिज स्थित भवन में अब पुस्तकालय के संचालन का कोई औचित्य नही रह गया है। इस भवन का जीर्णोद्वार कर धरातल मंजिल पर "Elder's Club" बनाया जा सकता है जिसमें शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा समाचार पत्र पढ़ने हेतू सुविधाऐं उपलब्ध की जानी प्रस्तावित है तथा भवन की पहली मंजिल पर एक हाईएण्ड कैफे स्थापित किया जा सकता है जिससे नगर निगम को आय भी होगी, क्योंकि राज्य पुस्तकालय अन्यंत्र स्थापित हो चुका है अतः शिक्षा विभाग को इसे खाली करवाने हेतू पत्राचार किया जाना आवश्यक है। इस भवन का जीर्णोद्वार स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

अतः मामला माननीय वित संविदा एंव योजना समिति के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एंव उचित निर्णय हेतू प्रस्तुत है।

आयुक्त

अतिरिक्त आयुक्त।

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(4) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नगर निगम शिमला की वित संविदा एंव योजना समिति की बैठक के विचारार्थ ज्ञापन

3(5)

विभाग का नाम : सचिव नगर निगम शिमला

विभागाध्यक्ष : अतिरिक्त आयुक्त

शहरी गरीब परिवारों के बी० पी० एल० कार्ड नवीनीकरण करने बारे।

विषयगत मामले में सरकार के पत्र सं० UD-H (F) (19)-1-2011-2137-2190 दिनांक 7.2.2018 द्वारा नगर निगम शिमला में बीपीएल० कार्डों का नवीनीकरण तथा विलोपन व परिवर्धन (deletion & addition) किया जाना अपेक्षित है (पत्र संलग्न)। यहां यह अवगत करवाना भी उचित होगा कि नगर निगम शिमला द्वारा वर्ष 2007 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार घर-घर जा कर शहरी गरीब परिवार सर्वेक्षण कार्य करवाया गया था। इस सर्वेक्षण में चयनित 3050 शहरी गरीब परिवारों को शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2008 मे अनुमोदित किया गयां (पत्र संलग्न)। उक्त अनुमोदित सूची के अनुरूप अभी तक नगर निगम शिमला द्वारा 2512 शहरी गरीब परिवारों को शहरी गरीब परिवार पहचान प्रत्र जारी किये गये हैं। इनमे से कुछ शहरी गरीब परिवारों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के फलस्वरूप बी०पी०एल० सूची से बाहर कर पहचान पत्र रद्द किये जा चुके हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहां यह अवगत करवाना भी उचित होगा कि निर्देशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(F)-BPL-2011-16134 Dated 27-10-2017 द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अभी तक वर्ष 2004 में तय गरीबी रेखा मापदण्ड अनुसार निर्धारित वार्षिक आय राशि 26,443/- अनुसार बी०पी०एल० कार्ड बनाए गए थे। इसके पश्चात बी०पी०एल० कार्डो के नवीनीकरण वार्षिक आय राशि रू० 35000/- अनुसार किया गया। परन्तु कुछ समय से बी०पी०एल० कार्डों का नवीनीकरण नही किया जा रहा है

जिसके लिए चयनित शहरी गरीब परिवारों के लोग बी०पी०एल० कार्ड नवीनीकरण तथा वंचित परिवार बी०पी०एल० सूची में सम्मलित होने हेतु कार्यालय में सम्पर्क कर रहे है व आवेदन भी कर रहे है ताकि वें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके।

अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर बी०पी०एल० कार्डो के नवीनीकरण एंव नया कार्ड बनाने के आवेदन के समय प्रदेश सरकार के उक्त पत्र दिनांक 7.2.2018 अनुसार निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित करने बारे निर्णय हेतु मामला वित संविदा एवं योजना समिति के समक्ष प्रेषित किए जाने बारे अपेक्षित है।

1. बी०पी०एल० सूची को वार्ड सभा द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।
2. सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार बी०पी०एल० सूची में विलोपन व परिवर्धन (deletion & addition) किया जाये।
3. परिवार के सत्यापन बारे वार्ड सभा की सहमति व आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. नए परिवार को सम्मलित करने के लिए शहरी गरीब परिवारों में से सम्पन्न परिवारों का विलोपन किया जाना है, जिस हेतु सचिव वार्ड सभा द्वारा सम्भावित सम्मलित किये जाने वाले परिवारों हेतु फार्म भर कर दिया जाना आवश्यक होगा, जिस में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु कुल परिवारों की सूची वार्ड नगर निगम स्तर पर निर्धारित संख्या की सीमा के अनुरूप ही रहेगी।

उपरोक्तानुसार नगर निगम वित एंव संविदा योजना के समक्ष विचारार्थ एवम अनुमोदनार्थ मामला प्रस्तुत है।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

अतिरिक्त आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(5) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना को अनुमोदित किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि सचिव नगर निगम शिमला द्वारा मा० पार्षदों को ward wise BPLपरिवारों की सूची उपलब्ध करवाई जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

-281-
-13

-37

-173-

No. UD-H(F)(1)-10/97-III-BPL-7291
Directorate of Urban Development,
Himachal Pradesh.

Dated: Shimla-2, the 23 June, 2008.

From:

The Director,
Urban Development,
Himachal Pradesh.

To

The Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla

Subject:- Regarding conducting of BPL Survey in M. Corp., Shimla

AC
Commissioner
24/6/08

Sir,

Please refer to your letter No. MCS JC SJSRY 08-1695 dated 02.05.2008 on the subject cited above; and to say that matter regarding identification of BPL families (3050) in Municipal Corporation, Shimla was taken up with the Government for their approval. The Additional Chief Secretary (UD) to the Government of H.P. vide letter No. UD-F(4)-7/98-II-Survey dated 13.06.2008 has principally approved the list of BPL families (3050) and conveyed its approval for the same. (copy enclosed)

A/c
25/6/08
Secy (SJSRY)

You are, therefore, requested to take further necessary action in the matter accordingly under intimation to this Department.

Yours faithfully,

Director 22/6
Urban Development,
Himachal Pradesh.
Dated:-

Endst. No. As above.
Copy forwarded to, the Additional Chief Secretary (UD) to the Government of H.P. for information with reference to his letter UD-F(4)-7/98-II-Survey dated 13.06.2008. for information please

Director,
Urban Development,
Himachal Pradesh

2137 - 2190

UD-H(F)(19)-1-2011
Government of Himachal Pradesh,
Directorate of Urban Development.

Dated: Shimla the 07 **February, 2018**

From:

Director
Urban Development,
Himachal Pradesh.

To:

Commissioner(s) Municipal Corporation(s),
Shimla and Dharamshala.

All Executive Officers / Secretaries
Municipal Councils and Nagar Panchayats
in Himachal Pradesh.

Subject: **Regarding Identification / Survey of BPL families.**

Sir/Madam,

Kindly refer to this office letter No. UD-H(F)(1)-Ant-1/2001-II-2030-78 dated 19.03.2007 on the above cited subject(copy enclosed) and the list of beneficiaries so identified were made as final after due approval of the elected house. In addition to this, for inclusion / deletion of BPL families, following may be adhered to;

a) The existing number of BPL families will be an upper limit within which any inclusion would require corresponding deletion.

b) Each ULBs may be directed to follow a procedure that ensures the widest possible consultation (thus for example, small municipalities could hold ward wise Sabhas) and includes a provision for appeal by aggrieved parties to be decided by such officer as may be appointed by the Deputy Commissioner (of the district concerned) for this purpose.

c) New survey shall be conducted as and when approval is received from the Government for which letter has already been sent to the Government.

You are, therefore, requested to take further necessary action as above under intimation to this department.

Yours faithfully,

Director,
Urban Development,
Himachal Pradesh.

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(6)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Regarding transfer of sanctioned funds to another work "C/O Nallah from Anji to Jagat Niwas in Kachighati"

On the subject cited above it is submitted that an amount of Rs.19.78 lacs have been sanctioned to construct Nallah from Deepak Hotel to Kainthla Niwas at Kachighati in ward No.9 by Hon'ble M.C. House vide its resolution No.2(2) dated 30.01.2019 under M.C. Head. But the work could not be executed at site due to dispute. Now the Councillor, Ward No.9 (Kachighati) has given DO letter on dated 12.02.2021 that the aforesaid sanctioned amount may be spent to construct next portion of said nallah from Anji to Jagat Niwas in larger public interest. as present there exists Kachha nallah due to which the free flow of water is causing seepage to adjoining land and buildings. The public of the area have been demanding time and again for channelisation of said Nallah.

Therefore, the matter is placed before FC & PC for following consideration and approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.19,78,000/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in Giriraj, e-tendering & two local dailies.
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner,

Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(6) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(7)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- **Light Sound and Multimedia show having WOW effect at Town Hall, Shimla.**

It is submitted that Tourism Department has proposed Light Sound and Multimedia show having WOW effect at Town Hall, Shimla as per the decision of Govt. The Director, Tourism & Civil Aviation, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9 has informed M.C. Shimla vide letter dated 16.01.2021 that the said work has been assigned to M/S C.S. Direkt, New Delhi and requested M.C. Shimla along with details of Layout plan including sound equipment, light equipment, projection detail, electrical layout etc. for according necessary permission and support mentioned below:-

Permission:-

1. Permission for second projector placement.
2. Procurement Permission of installing the lights on Town Hall as per the layout.
3. Permission for digging for audio pole at multiple places as per layout.
4. Procurement permission for Trenching for cables to run from control room to projector, sound & light,
5. Procurement permission for using Genset at site.
6. Permission for covering central arch of Town Hall.
7. Special permission for vehicle movement on Mall road for carrying equipment till Town Hall.
8. Special permission for working 24/7 on site.
9. Spetial permission for removal of benches in front of Town Hall as it creates hindrance in content.

Support:-

1. Window closure/cover.
2. Power supply.
3. Renovation of control room

Further said department informed that as per the decision in the meeting held on 06.11.2020, the windows of Town Hall will be covered by M.C. Shimla.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and decision on following points

1. Approval to accord permission required from Sr. No. 1 to 9 above to Tourism Department for execution of work.
2. Approval to appoint Assistant Engineer (R&B) as Nodal Officer to provide support, follow up and guidance to Tourism Department in the work.

Addl. Commissioner,

Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(7) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यह मामला चर्चा हेतु सदन सम्मुख लाया जाए और इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग द्वारा सदन में प्रस्तुतिकरण भी दिया जाए।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(8)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT – Executive Engineer

Subject:- Widening of road leading to Churat from Dhalli Tunnel Rd 0/0 to 1/240 in ward No.21 Mashobra (SH:- Widening between RD 0/680 to 1/100)

It is submitted that there is an old road from Dhalli Tunnel to Churat in ward No.21 Mashobra. The said road is very narrow due to which there comes lot of difficulties to the public of the area in free movement of vehicular traffic on this road. People of the area have been requesting time and again to widen the said road to ease the problem of traffic jam on this road. There is lot of narrow points which obstruct free flow of traffic on this road. The road is required to be widened urgently at some points. This office has proposed two points between RD 0/680 to 0/715 and 0/800 to 1/100 for widening on this road.

Keeping in view an estimate amounting to Rs. 25,34,600/- only has been prepared by taking provision of cutting, retaining wall and breast wall etc. between RD 0/118 to 0/198 in 1st phase. The work is of urgent nature and requires immediate attention. The said area is thickly populated due to which there is urgent need to execute the work in larger public interest, Hon'ble Dy. Mayor has also given in writing for execution of said work.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.25,34,600/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in Giriraj, e-tendering & two local dailies.
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner,　　　　　　　　　　Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(8) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

MEMORANDUM FOR THE CONSIDERATION OF FC&PC MEETING

3(9)

NAME OF DEPARTMENT – (R&B) M.C. SHIMLA
HEAD OF DEPARTMENT - Executive Engineer

Subject:- Construction of Ambulance road leading from Junga road to Chauhan Niwas via Chandel Niwas at Roop Colony in ward No.26 Phanthaghti RD 0/0 to 0/198 Phase-I (SH:- C/O R/wall, Cutting, B/wall etc in RD 0/118 to 0/198)

It is submitted that the road from Junga road (Chaili Bus Stand) to Chauhan Niwas at Roop Colony RD 0/0 to 0/300 leading through kh. No. 549, 551/1 & 593 Mohal Shiv Nagar, Tehsil & District Shimla has been declared as Ambulance road by M.C. Shimla vide order dated 10.12.2020. Keeping in view an estimate amounting to Rs.24,22,200/- only has been prepared by taking provision of cutting, retaining wall and breast wall etc. between RD 0/118 to 0/198 in 1st phase. The work is of urgent nature and requires immediate attention. The said area is thickly populated due to which there is urgent need to execute the work in larger public interest. Hon'ble Councillor and the public of the area have been demanding time and again for execution of said work.

The matter is thus placed before FC&PC for consideration and following approvals:-

1. Approval of above estimate amounting to Rs.24,22,200/- only
2. To execute the said work through contractor by calling/ publishing the tenders in **Giriraj, e-tendering & two local dailies.**
3. To authorise the Executive Engineer (R&B), M.C. Shimla for awarding the said work to the lowest contractor after fulfilling all codal formalities and to take action under agreement clauses in case it requires.
4. To authorise the Executive Engineer (R&B) to make the payments to the contractor within sanctioned amount subject to the completion of all requisite codal formalities and the quality of work will be ensured.
5. To incur the expenditure under MC Head.

Commissioner,

Head of Department

वित्त संविदा एवं योजना समिति के उक्त मद संख्या 2(9) पर विचार-विमर्श उपरान्त समिति द्वारा विभागीय प्रस्तावना पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मामला सदन सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।